प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 01.04.2026

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार, कब्जे से एक अवैध पिस्टल 32 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 30.03.2026 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त बन्टी चौहान निवासी कस्बा व थाना पिलखुआ जनपद हापुड के द्वारा अपने चार-पाँच साथियों के साथ मिलकर वादी के घर मे घुसकर वादी के साथ गाली गलौज, मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देकर भाग जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल सुंसगत धारा 191(2)/333/352/115(2)/351(3) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 01.04.2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त बन्टी सिंह पुत्र सतीश कुमार निवासी मौहल्ला अर्जुन नगर मोदीनगर बस अड्डा थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ उम्र करीब 27 वर्ष को मय एक अवैध पिस्टल 32 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई।अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि वादी मेरे पास ट्रक ड्राईवरी का कार्य करता था उसकी सैलरी 25 हजार रूपये महीना थी तथा 03 माह का वेतन मेरे पास बकाया था जिसके लिये मेरी वादी के साथ कहासुनी हो गई तो मैं आवेश में आकर अपनी देशी पिस्टल लेकर अपने दोस्तों को साथ लेकर वादी के घर जाकर उसके साथ मारपीट कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

बन्टी सिंह पुत्र सतीश कुमार निवासी मौहल्ला अर्जुन नगर मोदीनगर बस अड्डा थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ उम्र करीब 27 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना भोजपुर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 13.02.2026 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को बहला-फुसलाकर ले जाना तथा उसके साथ गलत काम करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल सुंसगत धारा-115(2)/75(2)/64/127(2)/123/137(2)/351(2) BNS व 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक

20.03.2026 को उपरोक्त मुकदमे के नामजद सह-अभियुक्त समीर पुत्र तरीकत निवासी मो0 पिरचोरियान देहरा थाना धौलाना जनपद हापुड़ उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 01.04.2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त फुरकान पुत्र फरमान निवासी मौहल्ला सोगना ग्राम देहरा थाना धौलाना जनपद हापुड उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मेरी पीडिता से काफी समय से बातचीत थी। मैं अपने दोस्त समीर के साथ पीड़िता को घर से शादी करने के बहाने बुलाकर अपने साथ लेकर चला गया था। उसी दौरान मैंने मौका पाकर पीड़िता से शारीरिक सम्बन्ध बना लिये थे व किसी को इस बारे में बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी, उक्त घटना में मैंने अपने दोस्त समीर की मदद ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फुरकान पुत्र फरमान निवासी मौहल्ला सोगना ग्राम देहरा थाना धौलाना जनपद हापुड उम्र करीब 21 वर्ष

अपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा पुरुष की गला दबाकर हत्या की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 31.03.2026 को थाना टीलामोड़ पर वादी अमित कुमार पुत्र रामनाथ सिंह निवासी म0नं0 487, गली नं0 04, गीतांजली विहार थाना लोनी गाजियाबाद ने लिखित तहरीर दी और बताया कि हम जाति से जाटव है मेरा छोटा भाई नितिन कुमार जयन्त ने मुस्कान पुत्री महरूदीन निवासी ग्राम पूरनपुर नवादा थाना चांदीनगर जिला बागपत के साथ अपनी पसन्द से शादी की थी। मेरे भाई नितिन व मुस्कान के बीच कहासुनी हो गई थी। जिससे नराज होकर मुस्कान अपने मायके चली गई थी। दिनांक 30.03.2026 को मुस्कान के पिता महरूदीन व चाचा आसिफ अली ने हमारे पास फोन करके बातचीत करने के बहाने हम लोगों को बन्थला बन्द फाटक पर बुलाया और एक दूसरी गाड़ी आयी जिसमें से 04 अज्ञात व्यक्ति उतरे उन 04 व्यक्तियों व महरूदीन तथा आसिफ अली ने मेरे भाई को पकड़ लिया और कहने लगे कि इसका आज खेल खत्म कर देते है और मेरे भाई के साथ मारपीट करते हुये गला दबाने लगे उन लोगों ने मेरे भाई की हत्या कर दी मैं अपनी जान बचाकर भाग आया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना टीलामोड़ पर धारा 103(1) बीएनएस व धारा 3(2)v एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटनाक्रम में दिनांक 31.03.2026 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस की सहायता से नितिन की गला दबाकर हत्या की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1.मेहरदीन उर्फ महरदीन पुत्र असगर अली निवासी ग्राम

पूरनपुर नवादा थाना चांदी नगर जिला बागपत उम्र करीब 48 वर्ष 2.शेरदीन पुत्र असगर अली निवासी ग्राम पूरनपुर नवादा थाना चांदी नगर जिला बागपत उम्र करीब 40 वर्ष को मुखबिर की सूचना के आधार पर रिस्तल रोड पानी के नाले के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्तगण उपरोक्त मेहरदीन उर्फ महरदीन की बेटी मुस्कान को नितिन पुत्र रामनाथ सिंह निवासी गीताजंली विहार, गली न० 4. मकान न0 487, लोनी गाजियाबाद ने अपने जाल में फसा कर उससे शादी कर ली थी। नितिन जाति से जाटव है तथा हम लोग मुस्लिम है। अलग-अलग धर्म के होने के कारण हमारी समाज में बहुत बेज्जती हो गयी थी किन्तु हम लोग उस समय बेज्जती का घूट पीकर चुप बैठ गये थे। किन्तु नितिन शराब पीकर मुस्कान के साथ मारपीट करता था जिस कारण मुस्कान दो तीन दिन पहले नाराज होकर नितिन के घर से अपनी बुआ के पास बेहटा आ गयी थी। यह बात जब हम लोगों को पता चली तो हम लोगों को बहुत बुरा लगा हम चारो भाईयों 1.मेहरदीन उर्फ महरदीन पुत्र असगर अली 2. शेरदीन पुत्र असगर अली 3.आसिफ अली पुत्र असगर अली व 4.साजन पुत्र असगर अली निवासीगण ग्राम पूरनपुर नवादा थाना चांदी नगर जिला बागपत ने मिलकर नितिन से बदला लेने की ठान ली थी। दिनांक 30.03.2026 को नितिन को मुस्कान से बातचीत कराने के बहाने आसिफ अली व मेहरदीन उर्फ महरदीन ने लोनी बंद फाटक से अपनी सैन्ट्रो गाड़ी में बैठा लिया था नितिन के साथ गाडी में नितिन का भाई अमित व इनके जानने वाली एक अन्य महिला भी बैठ गयी थी। शाम को करीब 19.30 बजे के आसपास हम लोगो गाडी को हरियाली फार्म हाउस के पास एक सुनसान रास्ते पर ले गये तो अमित हम लोगो से छूटकर वहाँ से भाग गया तथा नितिन को हम लोगो ने पकड लिया। हम लोगो ने नितिन के साथ मारपीट करनी शुरु कर दी तथा जान से मारने की नियत से नितिन का गला दबा दिया था नितिन को मरा समझकर हम लोगो मौके से भाग गये थे। हम चारो भाईयो के द्वारा ही यह घटना कारित की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. मेहरदीन उर्फ महरदीन पुत्र असगर अली निवासी ग्राम पूरनपुर नवादा थाना चांदी नगर जिला बागपत उम्र करीब 48 वर्ष।
2. शेरदीन पुत्र असगर अली निवासी ग्राम पूरनपुर नवादा थाना चांदी नगर जिला बागपत उम्र करीब 40 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना टीलामोड़ पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्ता गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 22.03.2026 को थाना खोडा पर वादी ने लिखित तहरीर दी और बताया कि मेरी बेटी प्रियंका के ससुरालीजनों द्वारा मेरी बेटी की फांसी का फन्दा लगाकर हत्या कर दी गयी है। जिसके सम्बन्ध में

थाना खोडा पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 द0प्र0अधि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 23.03.2026 को उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त (मृतका का पति) नीरज पुत्र शिवनारायण नि0 आजाद विहार खोड़ा गा0बाद व मृतका के ससुर शिवनारायण नि0 आजाद विहार खोडा गा0बाद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है तथा इसीक्रम में आज दिनांक 01.04.2026 को थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा वांछित 01 अभियुक्ता श्यामश्री पत्नी शिवनारायण निवासी आजाद विहार थाना खोड़ा उम्र करीब 50 वर्ष को इतवार पुश्ता खोड़ा से गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्ता से पूछताछ करने पर अभियुक्ता ने बताया कि मेरे बेटे नीरज की शादी वादी की बेटी से करीब 01 वर्ष पहले हुई थी। शादी से कुछ समय बाद तक तो सबकुछ सही चल रहा था परन्तु कुछ दिनों से रोजाना घर पर छोटी-छोटी बातों को लेकर कलेश होता था। घर में पैसों की तंगी थी तो मेरा बेटा उससे अपने मायके से पैसे लाने के लिए भी कहता था परन्तु वह पैसे लाने से मना कर देती थी। इसीक्रम में दिनांक 21.03.2026 की रात्रि में भी किसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने आवेश में आकर यह कदम उठाया था।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पताः-

- श्यामश्री पत्नी शिवनारायण निवासी आजाद विहार थाना खोड़ा उम्र करीब 50 वर्ष।(मृतका की सास)

गिरफ्तार अभियुक्ता का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध थाना खोडा पर दहेज हत्या के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम।